संख्या-02/2024/001-3153-24-1-2023-14(पी)-2005

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के गांवो एवं हैमलेट के विद्युतीकरण हेतु आर0ई0सी0 से प्राप्त ऋण पर ब्याज के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या–1275/अधि0नि0(वित्त)/निधि-।।/आर (डिस्ट)/04-05/97/2004, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2049-01-200-03-32 के भारित मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 81,86,83,000/- (रूपये इक्यासी करोड़ छियासी लाख तिरासी हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 39,65,71,368/- (रूपये उनतालिस करोड़ पैंसठ लाख इकहत्तर हजार तीन सौ अड़सठ मात्र) में से वितरण निगमों द्वारा आर0ई0सी0, नई दिल्ली को ब्याज के भुगतान हेतु प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि रूपये 20,24,24,536/- (रूपये बीस करोड़ चौबीस लाख चौबीस हजार पॉच सौ छत्तीस मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के सापेक्ष आहरित धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहॉ से धनराशि आहरित की गयी, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,24,24,536 (रुपये बीस करोड़ चौबीस लाख चौबीस हजार पांच सौ छत्तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 2049012000300 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज मानक मद 32 ब्याज/लाभांश (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-139-X-2023-24-दिनांक:12-1-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

<u>संख्या- 02/2024/001-3153(2)-24-1-2023, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्पलेक्स-7, लोधीरोड नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव।